|| कार्यालय : जिला एंव सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ||

|| संशोधित-विविध आदेश ||

क्रमांक :– 76/दो–12–5/05 शिवपुरी,दिनांक:– 23/04/2021

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जारी एस.ओ.पी. क्रमांक ए/113 दिनांक 15.01.2021 के अनुसार ऐसे स्थान जहाँ लॉकडाउन घोषित किया गया है, उस जिले में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.04.2021 के अनुसार शिवपुरी जिले में दिनांक 16.04.2021 के सांय 06:00 बजे से दिनांक 22.04.2021 के प्रातः 06 बजे तक कोरोना के बढते हुये संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में विविध आदेश क्रमांक 74 दिनांक 20.04.2021 के माध्यम से दिनांक 24.04.2021 एवं 26.04.2021 को श्रीमति मोनिका आध्या, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कोलारस की अतिआवश्यक कार्य (जैसे जमानत, रिमांड एवं सुपुर्दगी आदि) संपादित किये जाने हेतु ड्यूटी लगाई गई थी।

श्रीमति मोनिका आध्या, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कोलारस के द्वारा सूचित किया गया है कि वह बुखार एवं सर्दी–जुकाम से पीड़ित हैं। इस कारण उक्त आदेशानुसार उनके द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गई है। यह भी सूचित किया है कि वह कोविड–19 जांच करावेंगे।

अतः कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक 74 दिनांकित 20.04.2021 के द्वारा अतिआवश्यक कार्य हेतु प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कोलारस की ड्यूटी निरस्त कर श्री अनुराग सिंह कुशवाह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कोलारस को दिनांक 24.04.2021 को एवं सुश्री आरती रतौनिया, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 कोलारस को 26.04.2021 को अतिआवश्यक कार्य संपादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

वास्ते:– जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी म.प्र

पृष्ठांकन क्रमांक बी/1318/दो–12–16/20 शिवपुरी, दिनांक 23.04.2021

प्रतिलिपि,

1– श्रीमति मोनिका आध्या, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कोलारस की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– श्री अनुराग सिंह कुशवाह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कोलारस की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3– सुश्री आरती रतौनिया, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 कोलारस की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

4– अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.।

5– जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी/सहायक लोक अभियोजन अधिकारी कोलारस शिवपुरी म.प्र.।

6– नायब नाजिर तहसील न्यायालय कोलारस की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।

7– प्रशासनिक अधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8– सिस्टम ऑफीसर शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधित को ई–मेल/ व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं विविध आदेश की प्रति शिवपुरी जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

9– प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

वास्ते:–जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी (म0प्र0)